- 1 -

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

196

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप-जबलपुर

नि.ग. 3210-I-16

पुनरीक्षण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

रामसिंह गौड उम्र 41 वर्ष पिता नबल सिंह गौंड,
निवासी ग्राम परासिया थाना बरगी
तहसील व जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्व

1- म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर जबलपुर

2- श्री विष्णु कुशवाहा
पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा
निवासी शॉप नंबर 18, प्रथम तल,
राबरा शॉपिंग कॉम्पलेक्स कटंगा जबलपुर ---- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 20.9.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ... 20.9.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 115/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12-9-16 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी

20/9/16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम चरगवां प.ह.नं. 37 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 129, 173, 122, 170, 179, 116/3, 116/4 एवं 123 रकबा क्रमशः 0.28, 0.77, 0.62, 0.46, 0.54, 0.60, 0.80 एवं 0.62 कुल रकबा 4.69 हैक्टर अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री विष्णु कुशवाहा पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

3- यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से दिनांक 28.5.16 को प्रकरण पंजीबद्वकर प्रकरण दिनांक 29-8-2016 को प्रारंभिक तर्क हेतु नियत किया गया । आवेदक को रूपयों की आवश्यकता होने से उसके द्वारा दिनांक 16-8-16 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया जो उनके द्वारा दिनांक 16-8-16 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण पूर्ववत दिनांक 29-8-16 को नियत करने के आदेश दिये गये । किंतु इस दिनांक को पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर होने से प्रकरण में 26-9-16 की पेशी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3210–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-9-2016	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 115/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक रामसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चरगवां प.ह.नं. 37 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 129, 173, 122, 170, 179, 116/3, 116/4 एवं 123 रकबा कमशः 0.28, 0.77, 0.62, 0.46, 0.54, 0.60, 0.80 एवं 0.62 कुल रकबा 4.69 हैक्टर अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री विष्णु कुशवाहा पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–5–16 को पंजीबद्ध कर प्रकरण ग्राह्यता पर तर्क हेतु दिनांक 29–8–16 के लिए नियत किया गया । दिनांक 29–8–16 को पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर रहने से प्रकरण में दिनांक 29–8–16 नियत की गई । आवेदक द्वारा दिनांक 12–9–16 को प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में विकय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । आवेदक अधिवक्ता	

Misc. 3210/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

द्वारा कहा गया है कि लगभग 4 माह होने को हैं और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जानबूझकर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित जा रहा है । आवेदक द्वारा प्रस्तावित केता से एडवांस भी प्राप्त ले लिया है । आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है । यदि आवेदक को अनुमति नहीं दी गई तो हो सकता है कि अनावेदक द्वारा भूमि का सौदा निरस्त कर दिया जाये, जिसके कारण आवेदक को आर्थिक क्षति होगी और आवश्यकताओं की पूति के लिए आवेदक को अपनी भूमि कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जो शासन द्वारा आदिम जनजाति के सदस्यों के हितों के लिए बने कानूनों की मंशा के विपरीत होगा । आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा कय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है । उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि उसके पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 11.375 एकड़ भूमि शेष बच रही है जो आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चरगवां प.ह.नं. 37 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 129, 173, 122, 170, 179, 116/3, 116/4 एवं 123 रकबा कमशः 0.28, 0.77

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3210–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	0.62, 0.46, 0.54, 0.60, 0.80 एवं 0.62 कुल रकबा 4.69 हैक्टर को गैर आदिवासी सदस्य अनावेदक कमांक – 2 श्री विष्णु कुश्वाहा को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	